भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1046

27 जून, 2019 को उत्तर के लिए

'सबके लिए आवास' मिशन

1046. श्री कृ□ाल बालाजी तुमाने :

श्री संजय हरिभाऊ जाधव :

श्री अजय मिश्रा टेनी :

श्रीमती राठवा गीताबेन वजेसिंहभाई :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों को आवास दिलाने हेतु "2022 तक सबके लिए आवास" मिशन को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) मिशन के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित इस कार्ययोजना के पूरा होने की प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(घ) लाभार्थियों की पहचान हेतु अपनाए गए मानदंड सहित मिशन के तहत निर्धारित/आबंटित निधि कितनी है; और

(ङ) उक्त मिशन के तहत प्रस्तावित निवेश की प्रकृति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदी□ सिंह □ुरी)

(क) से (ग) : जी हां, सरकार ने 25.06.2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} "सबके लिए आवास" मिशन प्रारम्भ किया है। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है। मिशन में चार घटक अर्थात स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर); ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस); भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (बीएलसी) सम्मिलित हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} के तहत आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी घटक केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं जो राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई(यू)} का सीएलएसएस घटक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है।

सरकार द्वारा स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के तहत केंद्रीय सहायता 1.0 लाख रूपये प्रति आवास है जबकि भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण या विस्तार (बीएलसी) के लिए 1.5 लाख रूपये प्रति आवास केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} की ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 6.5%, मध्यम आय वर्ग-I (एमआईजी-I) के लिए 4% और मध्यम आय वर्ग-II (एमआईजी-II) के लिए 20 वर्ष की ऋण अवधि के लिए क्रमश: 6 लाख रूपये, 9 लाख रूपये और 12 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर परिगणित 3% की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था है।

(घ) : अब तक, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,445 शहरों/कस्बों में 81,03,196 आवासों के निर्माण के लिए 16,373 अनुमोदित परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 1,26,125 करोड रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण या विस्तार (बीएलसी) घटकों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थी उनकी वार्षिक आय, जो 3,00,000/-रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, के आधार पर केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग-I (एमआईजी-I) और मध्यम आय वर्ग-II (एमआईजी-II) से संबंधित व्यक्ति आय मानदंड के आधार पर पात्र हैं जिसका उपर्युक्त (क) से (ग) भाग में पहले से ही उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी परिवार का देश के किसी भाग में कोई पक्का आवास (सभी मौसम में रहने योग्य) नहीं होना चाहिए।

(ङ) : बजटीय संसाधनों के अलावा, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का भी स्कीम के सफल कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जा रहा है।

***